Speed Post-

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/111/2016-17

30 जनवरी, 2017

श्री पी.के. पाण्डेय
अनु सचिव एवं जनसूचना अधिकारी,
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
मुख्य सचिव कार्यालय, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री मोहम्मद हैदर पूर्व वार्ड प्रभारी आदमपुर, निवासी ए 20/82-एच, जेरे गुलार वार्ड आदमपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश का 19.01.2017 का पत्र 24.01.2017 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रूपये का पो.आ. संख्या 34एफ 441235 संलग्न कर अपने 16.01.2017 को इस सचिवालय को प्रेषित आवेदन जोकि इस सचिवालय में 19.01.2017 को प्राप्त हुआ था तथा जिसे 19.01.2017 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित किया गया था (प्रति संलग्न), पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है चूंकि पत्र की विषय-वस्तु उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हंस्तातरित किया जा रहा है। कृपया आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री मोहम्मद हैदर पूर्व वार्ड प्रभारी आदमपुर, निवासी ए 20/82-एच, जेरे गुलार वार्ड आदमपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त जनसूचना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

Narun Singh
1/2/17

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस 19/01/2017 (P)

19 जनवरी, 2017

श्रीयुत मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

प्रिय महोदय,

श्री मोहम्मद हैदर पूर्व वार्ड प्रभारी आदमपुर, निवासी ए 20/82-एच, जेरे गुलार वार्ड आदमपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश का 16.01.2017 का पत्र इस सचिवालय में 19.01.2017 को प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से इन्होंने जान-माल की सुरक्षा तथा माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग का दिनांक 10 मई 2016 के आदेश का वाराणसी जिला प्रशासन में कड़ाई से अनुपालन कराने के संबंध में निवेदन किया है, अत: पूर्ण विवरण युक्त इनका पत्र मूल रूप में उचित ध्यानाकर्षण हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा हैं।

सधन्यवाद,

भवदीय,

/

(हुरबी शकील)

प्रति सूचनार्थ -
श्री मोहम्मद हैदर पूर्व वार्ड प्रभारी आदमपुर, निवासी ए 20/82-एच, जेरे गुलार वार्ड आदमपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
कृपया पत्र के संदर्भ में श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय से सम्पर्क करें।

हुरबी शकील
(हुरबी शकील)

RTI No. 111
Master Key to Good Governance R.T.I. Act
सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION
Mohd. Haider
R.T.I. Activist
Legal Advisor (R.T.I.), D.A.V. P.G. College, Varanasi
A.20/82-H, Zere Gular Ward, Adampur, Varanasi - 221001 (U.P.) # Contact : 8400089174

Vice President's Secretariat Dy. No. 521 Dated 24/1/17 New Delhi

दिनांक : 19.01.2017

<u>स्पीड पोस्ट</u>
<u>आवेदन अन्तर्गत धारा - 7 (1)</u>

सेवा में,

श्रीमान् जनसूचना अधिकारी महोदय (सी.पी.आई.ओ.) u/s 5 (1)
कार्यालय - उपराष्ट्रपति महोदय,
6, मौलाना आज़ाद रोड,
<u>नईदिल्ली - 110011.</u>

विषय :- जान-माल की सुरक्षा के लिये सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 की धारा - 7 (1) के <u>प्रावधानों के अनुसार 48 घंटे में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में आवेदन।</u>

महोदय,

मुझे उक्त अधिनियम की धारा 7 (1) के प्रावधानों के अनुसार जान - माल की सुरक्षा हेतु 48 घंटे में निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना प्रदान करने की कृपा करें :-

बिन्दु संख्या (1) -

मेरे द्वारा दिनांक 16.01.2017 को आपको भेजे गये प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही हुई तथा सम्बन्धित अधिकारियों ने उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु क्या टिप्पणियाँ किया है? साथ ही ATR (Action Taken Report) भी उपलब्ध कराने की कृपा करें।

बिन्दु संख्या (2) -

मेरे द्वारा आपको 16.01.2017 को भेजे गये जान - माल की सुरक्षा विषयक प्रार्थना पत्र के तथ्यों तथा साक्ष्यों के आधार पर क्या आप अभियुक्तगण दानिश हसन एवं उसकी पत्नी एरम हसन, निवासी ए.19/20, चौहट्टा लाल खाँ, वाराणसी को अमानवीय कृत्य के लिये गिरफ्तार करने का वाराणसी जिला प्रशासन को निर्देश दे सकते हैं?

बिन्दु संख्या (3) -

माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय का दिनांक 10.5.2016 को हम आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं की समस्या के निराकरण तथा सुरक्षा के लिये दिये गये निर्देश का वाराणसी जिला प्रशासन नाम मात्र भी पालन न करने से मुझे तथा अन्य आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं को हर समय जान का खतरा बना रहता है, उक्त निर्देश को वाराणसी जिला प्रशासन के न मानने पर आपके स्तर से इससे सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या विधिक कार्यवाही हो सकती है? और मेरी जान की सुरक्षा के लिये संबंधित विभाग को आप क्या निर्देश दे सकते हैं?

<u>संलग्नक</u> -

1. मेरे द्वारा भेजे गये दिनांक 16.01.2017 के प्रार्थना पत्र की छायाप्रति (स्वयं प्रमाणित)।
2. आवेदन शुल्क के सापेक्ष 10/- रू. का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 34एफ.441235

भवदीय,

Md. Haider 19/1/17

(मोहम्मद हैदर)